उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-14

संख्या- 392/एक-14/2020

लखनऊः दिनाँक 06 जुलाई, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-43 के साथ पठित यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 3 सन् 1901) की धारा 48 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करतीं हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित जिला बागपत का एक ग्राम, जो सरकारी अधिसूचना संख्या-52/25/86-385-राजस्व-14, दिनाँक 30 जुलाई, 1987 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाएं इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से बन्द की जाती हैं।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	विज्ञप्ति की मूल क्रम संख्या	ग्राम का नाम
बागपत	बागपत	कोताना	7	सुल्तानपुर हटाना खादर

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 392/एक-14-2020, तददिनांक।

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, महात्मा गांधी मार्ग, प्रयागराज को अधिसूचना संख्या- 392/एक-14-2020, दिनांक 06 जुलाई, 2020 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को शासकीय गजट साधारण के आगामी अंक में प्रकाशित कराने तथा गजट में प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 अनुभाग-9, लखनऊ का उनके पत्र संख्या-467/9-213/2014, दिनाँक 17 मार्च, 2017 के सन्दर्भ में।
3. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
4. जिलाधिकारी/ अभिलेख अधिकारी, बागपत।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार दुबे)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Rajaswa Anubhag-14

In pursuance of the provisions of clause (3)of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no- 392 Dated 06 July,2020.

NOTIFICATION

No. 392 /1-14/2020
Lucknow: Dated 06 July, 2020

In exercise of the powers under section 48 of the U.P. Land Revenue Act, 1901(U.P. Act no III of 1901) read with section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U.P. Act No 8 of 2012) the Governor is pleased to declare that the Survey and Record Operation in One village of Distirct Baghpat mentioned in the schdule below which were placed under the above operation vide Goverment notification no. 52/25/86-385-Revenue-14, dated July 30, 1987 is closed with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	S. No. of Orignal Gazette	Name of the Village
Baghpat	Baghpat	Kotana	7	Sultanpur Hatana Khadar

By order,

(Renuka Kumar)
Upper Mukhya Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।